



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdbed.cce@gmail.com and jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (0);

क्रमांक:-एफ24 (NOC21-22)/ बी.एड/आकाशि/2021/207


दिनांक:-09.4.2021

आदेश

पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश के अनुसरण में बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई के मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा / महिला
1	Sharda Sadan College of Education, Survey No-604, Village-Mandholi, Khetri Road, Tehsil- Neem Ka Thana, Dist.-Sikar-332713	B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed. (4 Year Integrated)	NRC/NCTE/Application No.- 2016-16177/(ID No.9322)/280 th Meeting/ 2018 / 188869 dated 09-02-2018	(2 Unit) 100	सहशिक्षा


1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2021 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित मानदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकती है।
5. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन / सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
 - 1-एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
 - 2- राज्य सरकार द्वारा जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - 3-अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
 - 4-संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या


(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक पीटीईटी 2021
6. रजिस्ट्रार, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
7. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
8. सचिव/प्राचार्य, शारदा सदन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-मण्डोली, खेतडी रोड, तहसील-नीम का थाना, जिला-सीकर।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।